

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011 (discussion not concluded).

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Sir, with your permission, I beg to move* :

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka, be taken into consideration. "

Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, through you, I would like to inform the hon. Members of this House that the Bill proposes to accord Scheduled Tribe status to Medara Tribe in the State of Karnataka. The spelling of the Tribe in the English version of the Bill is Medara whereas the pronunciation is "Medar." The Hindi translation of the Bill unfortunately shows the word as "Medara" which is a printing error. Sir, I would, therefore, state that after the Bill being passed by the House, the Hindi translation will be corrected accordingly.

Sir, there has been a long-standing demand for the inclusion of Medara in the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. To fulfil the long-felt demand, the entry at Serial No. 37, occurring under Part IV, relating to Karnataka of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 have to be amended by inserting "Medara" community after the community "Meda" Scheduled Tribes of Karnataka. At present, there are 50 communities appearing in the list of Scheduled Tribes in Karnataka.

Sir, the Government of Karnataka have been for long recommending inclusion of "Medara" community as a synonym of "Meda" community. Way back in 1995, it had recommended inclusion of "Medara" along with "Medari", "Gauriga" and "Burud" communities as synonyms of "Meda", which is already listed at entry Serial No.37 relating to Karnataka of the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

The State Government's proposals were considered favourably by the Government of India, but it was found that while the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002, notified on 07-01-2003, and included "Medari", "Gauriga" and "Burud" as synonyms of "Meda" in the ST List of Karnataka, "Medara" happened to be omitted. This omission was pointed out by the State Government in 2003. The Registrar General of India supported the State Government's proposal in 2006. The National Commission took up the matter, sought additional information from the State Government, which was obtained in the year 2007, and, thereafter recommended it favourably in 2009.

Sir, the Bill thus seeks to achieve the above objective of redressing the omission of this community in the Constitution (SC&ST) Order (Amendment) Act, 2002 and to fulfil the long-standing demand from the "Medara" community in Karnataka.

The amendment will entail additional recurring and non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of India on account of the benefits likely to be provided to the persons belonging to the Medara community out of the continuing schemes meant for the welfare of the Scheduled Tribes. The same will be sought to be accommodated in consultation with the Ministry of Finance within the Annual Plan and Non-Plan outlay of the Ministry at the Revised Estimates stage.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka, be taken into consideration. "

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset, I would like to thank the hon. Minister Shri Kishore Chandra Deo ji for going to fulfil this long-pending demand of the Karnataka tribal community. I stand here to support this the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011.

At the very outset, I would like to say that this Bill seeks to amend Part VI of the Entry 37 to provide reservation for the Scheduled Tribe "Medara" community in Karnataka. This is by way of bringing amendment to the Constitution Order, 1950 to modify the List of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. As has rightly been pointed out by the hon. Minister, this was a long-pending amendment. Actually, earlier, the Meda community in Kodagu district was included in the ST List way

back in 1950. Now, the Scheduled Caste Constitution Order 1950 and Part VI of entry 37, these are synonymous to Meda – the Medara community is to be added. It is already included in the list of Meda, Medari, Gauriga Burud, has has been pointed out.

But way back in 1976 or from 1976, this community which it was restricted to a particular area called Kodaga district, the community started demanding this. They were hesitating to ask for inclusion of all the synonym words like Meda, Medari, Buruda and Gauriga. But after a very long time – they started demanding this in 1976 – but somewhere in 2002, though the consecutive State Governments were continuously representing, the Government of India - I don't know for what reason – they never looked at it. But somehow, with great effort by the then Government, Shri Kharge *ji* was also the Minister, recommended. Subsequently, the present Government also continuously persuaded but in 2002, the amendment was brought to the ST list at Entry 37, though the State Government recommended for Medara, Medari, Buruda and Gauriga but unfortunately, this Medari spelled as M-e-d-a-r-a, it was left in 2002. I don't know whether it was an oversight or somebody played a game but this Medara community in Northern Karnataka is the major community. This community as far as ethnographic study of many universities, including Kannada University for the Tribal Research Institute, Bangalore, Prof. Metry has given an account of Medara, Medari, Gauriga, Buruda, Buddur are the local names of the community of Meda. All those communities are bamboo and cane basket makers. They are following the same social religious practices. They speak Kannada and in the border areas, they speak Marathi and Telugu languages. The District Social Welfare, Chikmagalur, in his letter dated 19.7.2000 and District Social Welfare Officer, Belgaum in his letter of 2008 have clearly mentioned that there are inter marriages between all these Meda, Medara, Gauriga, Buruda and the rituals are same. The Tribal Commission of Bangalore reported that the rituals and customs of both Meda and Medara are the same and there are instances of inter related marriages between them and recommended to include Medara as synonyms of Medara community. The

District Social Welfare Officer, Dharwad District and Tribal Welfare Officer, Belgaum have also reported the same. After all these things, unfortunately, if you look back, from 1952 to 1976 – in 1976, they raised their demand - agitation was called, State Government was pressurised and ultimately the Central Government was made to open its eyes in 2002. But unfortunately, the main word, 'Medara' was left out.

At the outset, of course, I have thanked you. I met you in your Office regarding this twice. You were kind enough to assure me that in the very shortest time, this amendment would be brought and told me to seek my party leaders to support this, which I did. Hon. Sushma *ji* also spoke to you regarding this . She requested you to bring this amendment as early as possible and you were kind enough to do it very fast. But from 1950 to 2012, for 62 years, this Medara community, which is a major community in the northern part of Karnataka including the place of Mallikarjun Khargeji who is a senior leader from Karnataka, suffered because of this one technical lapse of the Government.

Sir, why the naxal movement is picking up momentum in the country? Of course, it is not there in our area. But why is this happening in other parts of our country? It is because such a simple demand was not met when the words were synonym. Even as early as in 2002, the National Scheduled Tribes Commission deputed Mr. Tsering Shampel, a Member of the Commission, to visit the areas of Medar in Karnataka. He visited Belgaum, Haveri and Uttara Kannada Districts and made an on-the-spot study and reported in detail about the socio educational status of Medara community and recommended for its inclusion in the Scheduled Tribes List of Karnataka. Even after that, the Government has taken nearly 10 years to bring this Bill. So, the people are feeling restless. They feel that both the Centre and the State put together are not serious about this. I am not talking about any particular political party. Today, the BJP is ruling in Karnataka, previously the Congress was ruling and earlier to that, the Janata Party was ruling there. Today, the UPA is ruling at the Centre and few years ago, the NDA was ruling. But with all these factors, with all the pressures, with requests from people's representatives irrespective of their party affiliations, first it took almost 62 years and now if it can take nearly 10 years, naturally people will feel that they cannot get justice in this democratic system and so they may ask for an alternative system through the naxal movement and take up arms.

So, I have a sincere request to the hon. Minister. Since this is a very small and short amendment, I do not want to make an elaborate speech on this. My request is that, irrespective of what the State Government recommends, whatever procedure has to be followed by the Government of India, it should be expedited. I raised this matter twice during 'Zero Hour' in this House. When I met you, you suggested to me to make a submission for its inclusion in the List of Business for the next week. I did that also. But despite all these things, it has taken such a long time. Then, luckily, the Standing Committee also has recommended very positively on this. Now, you have taken this initiative. In the same UPA Government, I met your predecessors also and I convinced them. They agreed when they were outside this House. But I do not know what happened when they came to this House and it was not done for quite a long time. At least you have taken the initiative now and moved the Bill before this House. I request you to immediately take this Bill to the other House and get it passed there also and take the Assent of the President, if that is needed. Then, I would also request the Minister to get it notified

in the Gazette so that those people get justice. More than 100 of them have come over here from the nook and corner of Karnataka including the Hubli-Dharwad region of Karnataka. I think they are sitting in the Gallery also to watch the proceedings and see whether they can get justice after 62 long years. With that hope they have come here. So, I request you, with folded hands, to get it passed in the other House also before the conclusion of this Session and see that this order goes to all the district headquarters by the end of June so that they will get their ST Certificate by the next academic year. If they can get the certificate, at least, this will be useful for their children who are suffering for the last 62 years.

Since this is not a very long amendment, I do not want to make a lengthy speech on this. So, with these words I conclude and once again I would request the hon. Minister to expedite the process and complete it before this Academic Year begins.

SHRI K. JAYAPRAKASH HEGDE (UDUPI-CHICKMAGALUR): Sir, I have not been allotted any seat, so I may be permitted to speak from here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, please.

SHRI K. JAYAPRAKASH HEGDE : Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this amendment.

The Bill was introduced on 27-12-2011 and this was referred to the Standing Committee on Social Justice and Empowerment by the hon. Speaker on 5-1-2012. Clause 25 of the article 366 of the Constitution defines what is Scheduled Tribe.

This community fulfils the criteria for specification to be included in the Scheduled Tribes. There are five conditions to be fulfilled. These are indications of primitive tribe, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with community at large and backwardness. They are mostly in Dharwad, Karwar and Belgavi Districts of Karnataka.

Medara Community is a synonym of Meda, which is already in the List of Scheduled Tribes. In the community, the education level is below 15 per cent. The Standing Committee has already gone in details and given a report.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome the Bill and I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. I also congratulate Mr. Kharge because he was the then Home Minister in Karnataka when this was recommended to the Central Government.

Now, I would request the hon. Minister to include two more communities, which are in my District. One is Korga. It should have been in primitive tribe, but it is still in Scheduled Tribe. The Korga Community is at the lowest strata of society. There is a report from Dr. Mohammad Peed to that effect. The education level in this community is not more than five per cent. There are only a few boys and girls who have completed degree. They have not yet got employment anywhere because a majority of them are in Udupi and Dakshin Kannada Districts. Unless they are declared as primitive tribe, they will not be able to compete with even Scheduled Tribe boys and girls who are in those Districts. I would request the hon. Minister to consider this because this has not been recommended by the State Government. So, I would request the hon. Minister to send a note to the Government of Karnataka in this regard.

Their main occupations are making baskets, hunting and also drum beating in festivals. What they do is that during the festivals, they collect the waste food, dry the waste food and eat it when there is shortage of food.

There is one more community, which is called Kudubis. I think they should have been in Scheduled Tribe. This is still in the List of Backward Class. The highest post in that community is either teacher or a clerical post. Other than that they have not gone beyond that.

Dr. Rabindra Nath Rao has written a thesis on this and he was awarded doctorate for writing a thesis on Kudubis Community. They also live on hunting. I would request the hon. Minister to do the needful. I have taken up the cause of this community, Kudubis, to Justice O. Chinnappa Reddy, who was the then Chairman of Backward Classes and also Prof. Ravi Umakumar, who was the Chairman of the Committee. There is already a Standing Committee report. I may be permitted to read a couple of lines from the Standing Committee report. It says:

"The Committee further desire that the Ministry should vigorously pursue with the State Governments and other agencies to get the comments expeditiously so as to expedite the process of inclusion of names of tribes in the list of Scheduled Tribes of various State and Union Territories."

The report further says:

"The Committee recommend that the Government should immediately take steps for the conduct of a fresh survey and furnish the required ethnographic material to all the agencies concerned so that these needy and deserving communities are considered for inclusion in the list of Scheduled Tribes."

I would request the hon. Minister to include 'Koragas' in the Primitive Tribes and 'Kudubis' in the Scheduled Tribes instead of in the Backward Classes.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. I support the Bill in *toto*.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश, दूसरा विधेयक-2011 पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह संशोधन हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री श्री किशोर चन्द्र देव जी ले कर आए हैं जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और वह बहुत अच्छे विचार के और विद्वान मंत्रियों में से एक हैं।

उपाध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि इसी सदन में समय-समय पर पक्ष-प्रतिपक्ष बराबर सम्मानित सदस्यों के तमाम सुझाव, और उन्होंने अपने वक्तव्य चाहे वह जीरो आवर हो या विभिन्न अवसरों पर उन्होंने अपने प्रदेश के तमाम चाहे वे अनुसूचित जाति के लोग हों या अनुसूचित जनजाति के लोग हों इन सब लोगों की मांग बराबर यहां पर उठाया गया है कि जो प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने केन्द्र को भेजा है उस पर आज तक कोई अमल नहीं हो पाया है। समय-समय पर हमेशा सम्मानित सदस्यों के सुझाव और विचार आए हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे करीब इक्कीस जातियों का जिनमें पूजापति, कुम्हार, मल्लाह, बिन्धा, चौहान इन तमाम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। यह बहुत दिनों से लंबित है। मुझे ख्याल है कि पिछली लोक सभा से ले कर इस लोक सभा में भी हम लोगों ने बराबर इस बात को उठाया कि इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाए। सभी जातियां तैयार हैं, विधान सभा से प्रस्तावित हो कर केन्द्र सरकार में लंबित हैं लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हो पाया है। इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कोल जाति हैं। वे आदिवासी हैं। वे बहुत कम संख्या में हैं। उनको अनुसूचित जाति में शामिल होने का, कभी-कभी देखा गया है कि उनको पिछड़ी जातियों में रख दिया जाता है। फिर उनकी डिमांड अनुसूचित जाति में रखने की रहती है। इस प्रकार की तमाम ऐसे अवसरों पर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि सरकार को निर्देशित करें कि तमाम जातियां जो अपने को उपेक्षित समझती हैं जो समाज की मुख्य धारा से अपने को अलग समझती हैं जिन्हें कोई सहुलियत नहीं मिल पा रही है। कुछ जातियों की स्थिति ऐसी है, जैसे हमारे यहां केशरवानी जाति है। यह बिहार में बैकवर्ड श्रेणी में आते हैं और हमारे यहां जनरल श्रेणी में हैं। अपने-अपने स्टेट की जो भी जरूरतें हैं जो भी सहुलियतें हैं उनके अनुसार अगर राज्य सरकारें प्रस्ताव कर केन्द्र सरकार को भेजती हैं तो इसमें केन्द्र सरकार को करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। चूंकि आप जान रहे हैं कि आज तक हम सही जनगणना नहीं कर पा रहे हैं कि बीपीएल के कितने लोग हैं। हम सुविधाएं दे रहे हैं। अभी इस संशोधन में आया है, प्रह्लाद जोशी जी ने बड़े विस्तार से कहा और मुझे थोड़ा-सा इंगित भी किया कि मेदा, मेदारी और बुडीका और जातियों, मेदारा जो छूट गया है इसको एसटी में शामिल किया जाए।

15.00 hrs.

इस प्रकार तमाम प्रस्ताव जो प्रदेशों से आए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें मंत्री जी गंभीरता से लें। आपसे काफी आशा और उम्मीद है। हम आपका सम्मान भी करते हैं। आप तमाम समितियों के चेयरमैन रहे हैं। आप विद्वान हैं। आप स्वीनिंग करवा लीजिए। जिस राज्य से रेजोल्यूशन पास होकर इस प्रकार की जातियों का प्रस्ताव केन्द्र में लंबित है, उन्हें तत्काल परिवर्तन करवाएं। जातिगत आधार पर उन्हें सरकार से जो सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, उन्हें दिलवाने का कष्ट करें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस विधेयक पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा संक्षेप में जो संशोधन लाया गया है, मैं इस बिल पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वे बहुत छोटा संशोधन लाए हैं। इस तरह की समस्याएं देश के विभिन्न प्रदेशों में देखने को मिल रही हैं। कई जगहों में राजनीतिक कारणों से भी हमें ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में दो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। गौण और कोल कम्युनिटी एक ही प्रदेश में हैं। शैलेन्द्र जी ने भी इस बारे में ध्यान आकृष्ट किया। सोनभद्र, मिर्जापुर आदि में इन जातियों को शैड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में ट्रीट किया जाता है, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में इन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिलता। खास तौर से गौण कम्युनिटी जो जनपद जौनपुर, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहां इसकी आबादी लगभग 25 हजार है। वे लोग इस सुविधा से वंचित हैं और पिछले 6-7 वर्षों से लगातार जिला मुख्यालय पर अनशन कर रहे हैं। मैंने संक्षेप में इसलिए कहा कि इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, जिन्हें प्रदेश झेल रहे हैं, अगर उनके बारे में पूरी रिपोर्ट मंगवाकर विस्तृत रूप में संशोधन लाया जाता तो बहुत अच्छा रहता। मान लें आज कर्नाटक से मेधा कम्युनिटी का प्रस्ताव आ गया, बिल्कुल सही बात है, आप कर दीजिए, लेकिन सब राज्यों से मंगवाकर इंटीग्रेटेड-वे में लाते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर विभिन्न प्रदेशों से सदस्य अपनी राय रख देते जिससे पूरे देश को लाभ मिलता।

अभी शैलेन्द्र जी ने कहा कि हमारे यहां से 21 कम्युनिटीज़ एसटी के लिए हैं। चूंकि इन्होंने विधान सभा से प्रस्ताव पारित करने की बात की, उस समय मैं भी विधान सभा का सदस्य था। वहां से प्रस्ताव पारित होकर आया था। मैं आज भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि एक बार पुनः समीक्षा कर लें कि वास्तविक रूप से शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन सी कम्युनिटी ऐलिजिबल है। यह नहीं कि राजनीतिक कारणों से हम भेज दें कि इन्हें एससी कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाए, इन्हें एसटी कम्युनिटी में शामिल कर लिया जाए। मैं इसे उचित नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो लोग आज वास्तविक रूप से इसके हकदार हैं, जिन्हें एसटी कम्युनिटी का लाभ

चाहिए, उन्हें वह मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिलों, मेरे ख्याल से 20-22 जिलों में गौण और कोल कम्युनिटी पाई जाती है। सोन भद्र, मिर्जापुर, चंतौली, इलाहाबाद, जौनपुर, भदोही, गाजीपुर कई जिले हैं जहां ये जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ दो जगह शैड्यूल्ड ट्राइब्स का लाभ मिलता है। इन्हें पूरे प्रदेश में शैड्यूल्ड ट्राइब्स का लाभ मिले। मंत्री जी प्रदेश सरकार से बात करके इस मामले का निस्तारण करेंगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब आप इस तरह का संशोधन लाएं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर लाएंगे।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, 2011 के संदर्भ में बोलने का जो अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने प्रांतों और संसदीय क्षेत्रों के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति की स्थिति और परिस्थिति की विस्तार से बातें की हैं। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जनजातियों की स्थिति और परिस्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बनायी गयी स्कीमों में बहुतायत लाभ नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की कुल जनसंख्या 8.43 करोड़ है, जो कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति समुदाय देश के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्रों में विभिन्न भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के मामलों में काफी दूर है।

महोदय, मुझे इस सत्त्वाई को स्वीकार करने में तथा सदन को यह बताने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनायी गयी हैं, उनका लाभ सही मायने में उन तक नहीं पहुंच पा रहा है।

महोदय, आज स्थिति इतनी विस्फोटक हो गयी है कि बिहार राज्य सहित देश के तमाम प्रदेशों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग नक्सली नेताओं के प्रभाव में आकर समाज की मुख्यधारा से अलग हो रहे हैं। आज जब यह बिल आया है, तो हम सबको और सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि सचमुच हम कुछ ऐसा करें कि अनुसूचित जनजाति के लोग नक्सलियों के प्रभाव से निकलकर समाज की मुख्यधारा में जुड़कर रचनात्मक कार्य कर सकें।

मैं समझता हूँ कि इसके लिए सम्पूर्ण रूप से इस वर्ग के लोगों का आर्थिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास करना होगा। अगर हम ऐसा करने में असफल होते हैं, तो फिर नक्सलवाद को बढ़ने, फलने-फूलने से नहीं रोक सकते। हमें यह सोचना होगा कि सरकार की सारी मशीनरी उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने में क्यों असफल हो रही है? जबकि मुझे भर नक्सली आंदोलन के नेता अपनी बातों से इस वर्ग के लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं।

महोदय, आज इस वर्ग के लोग जंगलों, पहाड़ों में जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं। उनके सामने रोटी, कपड़े और पीने के पानी की गंभीर समस्या है। लोग आज की तारीख में भी नदियों के गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। हमारे यहां एक कहावत है कि 'मरता तो क्या न करता'। यही कारण है कि वे नक्सली बन रहे हैं। हमें इस पर काबू पाने की जरूरत है और यह काबू सिर्फ हथियार के बल पर नहीं हो सकता। उनसे संवाद करने की जरूरत है, उनके दुख को समझने एवं दूर करने की जरूरत है। अगर हम उनके जीवन स्तर को सुधारने में सफल हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा इससे बेहद मजबूत होगी।

महोदय, हमारे बिहार में खासकर पश्चिम चम्पारण के जंगली इलाकों में बहुत सारे जनजाति के लोग जंगलों में रहते हैं। वर्ष 2006 में वनाधिकार कानून पास हुआ था, परन्तु आज तक उन लोगों को इस कानून का लाभ नहीं मिला है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यथाशीघ्र इस कानून का लाभ वन में रहने वाले लोगों को दिया जाये।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जमुई में भी कादर एवं पैरघा, चैरों, बुडियां, तुषात आदि समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी स्थिति काफी खराब है, दयनीय है। इन्हें भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाकर इनके स्तर को ऊंचा उठाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस संदर्भ में मंत्री महोदय इस पर काफी गंभीरता से विचार करेंगे और मैंने मांगें की हैं, उन पर भी गंभीरता से विचार करेंगे।

मैं इन्हीं संशोधनों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI K. SHIVKUMAR ALIAS J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity to participate on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011.

Sir, this Bill was introduced in the Lok Sabha on 27th December, 2011. The Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to achieve the objective of inclusion of *Medara* community in the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. The Constitution of India enjoins upon the State a special responsibility for the protection and development of the Scheduled Tribes people.

There are 50 communities enlisted in the list of Scheduled Tribes of the State of Karnataka. In this list, the existing entry is at serial No. 37, *Meda, Medari, Gauriga, Burud*.

The State Government of Karnataka had recommended for inclusion of *Medara* community as synonym of *Meda*, the Scheduled Tribes, which is appearing at serial No. 37 in the list of ST of the State in the year 2003.

Sir, I welcome the efforts of the Government of India for taking keen interest for the development of the neglected Scheduled Tribes people all over India. In this row, now, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill has come. I am extremely happy for the modification of the list of the Scheduled Tribes in the State of Karnataka. I

welcome the Amendment of the Bill

Sir, while welcoming this Amendment, I would like to bring to the knowledge of this Government a few facts.

According to Article 342, Clause (1) Scheduled Tribes:-

- 1 "The President may, with respect to any State or Union Territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the Tribes or the Tribal Communities or parts of or Groups within Tribes or Tribal Communities which shall, for the purposes of this Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union Territory, as the case may be.
- 2 Parliament may, by law, include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any Tribe or Tribal Community or parts of or Group within any Tribe or Tribal Community, but save as aforesaid issued under the said clause, shall not be varied by any subsequent notification."

Sir, as per the above Article 342, Clause (1) Scheduled Tribes, I would urge upon the Government to consider my Constituency's issues as follows:-

More than 10,000 tribal families are living in my Constituency without education. They are having voter ID and ration card. But they do not have the community certificate because of which the children are allowed to study up to 5th Standard only. After that, they are not permitted to continue their studies. This is the basic and fundamental record for the future. Their fundamental rights are being denied to them.

Sir, these people had migrated from other districts to my district during the King's regime to chase away their birds. After that, they started working as coolies, construction labourers and agricultural labourers, which they are still continuing.

Every month, they are expressing their feelings by indulging in hunger strikes, protests and *dharnas*. But the State Government could not issue them the community certificate because their community name *Kattu Naicken* is not listed in the Gazette, insofar as my district is concerned,

I would, therefore, urge the Government to take necessary steps to include their community in the Tribal List and help them to come up in the society at par with the other Tribals listed in the Gazette.

Sir, while considering the amendment of Scheduled Tribes in the State of Karnataka, I insist on the Government to consider the aforesaid similar issue of my constituency as quickly as possible. As the UPA-II Government is taking adequate steps for building a country without poverty, I believe that surely the standard of living of these neglected Tribes will also be lifted up soon.

SHRI BAJU BAN RIYAN (TRIPURA EAST): Thank you Deputy-Speaker, Sir for giving me time to speak on this Bill.

I support the Bill. It is actually a very simple Bill. It is proposed that Medara, one community of Karnataka, to be included in the list of Scheduled Tribes in Karnataka State, which was prepared or notified in the year 1950. In the Bill it is mentioned that after Serial No.37, this should be included. At present, in Karnataka State there are 50 ST communities. So, after inclusion of this community in the list, this community may be 51 in the list there.

This type of problem is not a very small problem. If I consider it at the national level, there are more than 500 communities. I do not know the exact number of these communities. As per the information provided by the hon. Minister in response to part (1) of the Lok Sabha Unstarred Question No.5903, dated 11.5.2012, that is, a few days back, the total population of Scheduled Tribes in this country is 8,42,96,771. But in this list there are 33 States and Union Territories. But what is missing? Andaman and Nicobar Islands is not in this list and Puducherry is also not in this list. So, if Scheduled Tribe people are there in Puducherry and Andaman and Nicobar Islands, then the total number of Scheduled Tribes in this country may be more.

However, some discrepancy is there. I would request the hon. Minister to correct them in future. The list was

prepared and notified in the year 1950, that is, long back. Yesterday, we had celebrated here the 60th Anniversary of Parliament. It is an issue which has been pending for a very long time in almost all the States. The hon. Member, Shri Shailendra Kumar and other Members have referred to the problem that the State Governments have sent some names of the community to be included in the list of Scheduled Tribes but till date it is left pending in respect of almost all the States. So, I would also request the hon. Minister to bring a comprehensive list of Scheduled Tribes in consultation with those States which want to modify or include their communities in the list by amending the Scheduled Tribes Order of 1950.

The main discrepancy is that the names of the communities are pronounced in their own dialects. In our country, there are more than thousand dialects, which are not included in the Eighth Schedule of the Constitution. As it is pronounced in its own dialect, when we translate it into English or Hindi, there may occur some discrepancy. The Meda community is included in it but the Medara community is not included in it. Their local language or dialect may be the same but I do not know the exact position. In this way, in other States also, a lot of communities are there which are not recognised as Scheduled Tribes.

The Riang community is one of the 19 communities of Scheduled Tribes list in Tripura. The Riang community resides near the border States of Assam, Mizoram etc. But, they are not recognised as Scheduled Tribes there. The Riang community is included in the Mizu community in Mizoram. But, Mizu and Riang communities are not the same. Due to that ethnic trouble, about 40,000 Riangs are camping at Tripura for the last 13 years. They are not able to go back to their original State. This is the problem.

In the States like Odisha and Andhra Pradesh, there may be some communities from the same ethnic groups, the same language and with the same religious beliefs. They are recognised as Scheduled Tribes in Andhra but they are not recognised as Scheduled Tribes in Odisha. Similar is the case in Tamil Nadu and Kerala. The same people, who reside in Kerala, are not recognised as Scheduled Tribes there but in Tamil Nadu, they are recognised as Scheduled Tribes. This is a very serious problem throughout the country.

I request the hon. Minister to bring in a comprehensive Bill so that we can discuss this issue here and take a decision to give equal benefits to all of them. We can give some time of six months or one year to the bordering States to process and include those, who are recognised as Scheduled Tribe communities in other States, in the list of Scheduled Tribe. They should also give these communities the same identity.

I request that in this regard a comprehensive Bill be brought in this House as soon as possible.

* SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2011 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. Through our Governments, we have always been trying to improve the lot of the Scheduled Tribes by way of extending reservation benefits and other social security measures to bring them up in life and to take them to the mainstream. In order to extend such benefits, we are enumerating and identifying such of those beneficiaries who will be enlisted under the heads Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The long-felt need of the people to have them enlisted under this category is being met with now at least now after a long delay to bring about changes in their lives. This Bill seeks to bring Medara community in Karnataka under the Scheduled Tribes List so that the benefits of reservation in education and jobs will accrue to them. This only shows how indifferent our Governments are over the years about the plight of the people from the communities from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

We are celebrating 60 years of parliamentary democracy. At this point of time, we notice that a large section of the society, a largely visible community in Karnataka with noticeable numerical strength, had remained left out for so many years without being included in the Scheduled Tribes List. If it can happen to a sizeable community, what can happen to such people who cannot show their numerical strength and thereby losing opportunities to come up in life through the welfare measures intended for the Scheduled Tribes by way of reservation and other social security schemes? This only shows that be it the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes or be it the Standing Committee and Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have also been knowingly or unknowingly ignoring the Scheduled Tribes.

In my constituency in Tamil Nadu, a certain section of tribal people are facing huge hardships. Though it may not be directly relevant to this Bill, I would like to point out this so that in future a comprehensive Bill may be contemplated to identify and enlist the left out tribal people throughout the country. You have now moved in this august House a Bill to amend the ST Order to include the Medara community in the List of Scheduled Tribes. Let us think of the social deprivation and economic loss suffered all these years due to this delay. I am referring to an entirely different matter here. In my constituency, there is a tribal community called Kattu Naicker. That Kattu Naicker community that comes under the Scheduled Tribes List is

identified and recognized as STs only in certain geographically demarcated areas within Tamil Nadu.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, our Constitution gives us the right to live in any part of the Indian territory. We can live in any State and any district and this must not come in the way of enjoying certain privileges that are enshrined under the Constitution. How can we expect that that particular community will continue to live only in that geographical area? The forced migration of those people must not take away their rights to make use of the State conferred benefits. Only in certain districts in Tamil Nadu, Kattu Naicker community people can take Caste Certificate as those who belong to the Scheduled Tribes. They are denied of this facility in other districts. They might have shifted from one district to another or their numbers might have drastically got reduced in another district. These factors must not be treated as a basis for denying Caste Certificate or accompanying benefits and, in my opinion, this is an injustice perpetrated on that section of the people. Today we find the Kattu Naicker community people living in several parts of Tamil Nadu. Just the other day, my esteemed colleague Shri Ritheesh from the DMK highlighted the problem faced by the same Kattu Naicker community people in his constituency. He stated that more than 10,000 Kattu Naicker community people live in his constituency. Tirunelveli and Virudhunagar districts are there in my constituency and these two districts are denying Caste Certificate to the Kattu Naicker community people on the premise that these two districts do not come under the demarcated geographical area in Tamil Nadu. It is not fair to accept and deny such a recognition within a State. I can understand if it varies from State to State, but how can it vary within a State? In fact, once they are included in the List of Scheduled Tribes, it should be valid for the entire country wherever they are. The Kattu Naicker community should be recognized and accepted throughout Tamil Nadu and the Caste Certificate should be given to them wherever they are. District-wise discrimination against the Kattu Naicker community within Tamil Nadu must go and it must not come in the way of certain facilities extended to them. As of now, they are a neglected lot and most of them are sanitation workers taking up scavenging jobs here and there. A relief can be given to that Kattu Naicker community by way of bringing about suitable amendment through this Bill or through a separate Bill to enable them to be recognized as ST community people with in Tamil Nadu to begin with. In the same way as you seek to render justice to the Medara community people in Karnataka though belated, the union government must come forward to include them in the STs' list so that they could get recognized in the entire state of Tamil Nadu. Considering the social deprivation and economic loss that caused impediments in their social progression and economic development and also the fact that the bright students among them who have scored good marks in SSLC and HSC examinations are not able to go for higher education for want of Caste Certificate, the Government must act fast to include Kattu Naicker community in the ST List so that they get recognition wherever they live and get the facilities meant for them. The geographical demarcation of areas in the case of Kattu Naickers must be done away with immediately. With these words, I conclude.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में पहले से मेदा और मेदारी जाति पहले से सूची में हैं जबकि मेदारा छूट गई। इसके लिए ही विधेयक लाए हैं जो बहुत संक्षिप्त है। मेदा और मेदारी जाति ट्राइबल सूची में हैं जबकि मेदारा छूट गया है इसलिए प्रावधान किया गया है। सब इसका समर्थन कर रहे हैं। भारत के संविधान की धारा 366, 342 के अधीन माननीय मंत्री जी को कांफ्रिडेन्सियल विधेयक लाना चाहिए। ऐसा सीपीएम के साथी कह रहे थे। मैं मंत्री जी को सुझाव देकर सहायता कर रहा हूँ। आसन पर संयोग से उपाध्यक्ष महोदय हैं, आपको मालूम है कि झारखंड में लोहरा, लोहाड़ा दोनों नाम से जाति ट्राइबल सूची में हैं। पहले बिहार और झारखंड एक था जबकि लोहार जाति छूट गई। झारखंड में लोहरा, लोहाड़ा ट्राइबल सूची में हैं जबकि बिहार में लोहार जाति छूट गई। लोहार संघ का आंदोलन चल रहा है, वे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कि उन्हें ट्राइबल सूची में डाला जाए। विभिन्न सदस्यों के यहां और माननीय मंत्री जी के यहां लिखापढ़ी हुई है इसलिए मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि बिहार में लोहार जाति को ट्राइबल सूची में डाला जाए, परीक्षण किया जाए, जांच की जाए। इसी का हिस्सा झारखंड में लोहार और लोहाड़ा है। लोहाड़ा अंग्रेजी में है। मिश्र को अंग्रेजी में मिश्रा पढ़ा जाता है। हम अशोक रोड कहते हैं तो अंग्रेजी में अशोका रोड कहा जाता है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में लोहाड़ा जाति झारखंड में ट्राइबल हो गई जबकि बिहार में लोहार ही रह गई। यह दोनों में एक नाम से था। यह पहले एक राज्य था, यदि वहां ट्राइबल जाति में हुआ तो बिहार में भी होना चाहिए। लोहार जाति को ट्राइबल सूची में डाला जाए।

महोदय, नुनिया जाति मिथी काटने वाली जाति है। यह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है। इसी तरह साहनी, निशाद, मल्लाह जो मछली मारने वाली जाति है, बिंद, बिलदार, केओत, कोही हैं, ये सभी जातियां वही काम करती हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं। ये जातियां बंगाल में अनुसूचित जाति में हैं। बिहार में अति पिछड़े वर्ग में हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों में हैं। यह क्या है? गंगोत जाति भागलपुर इलाके में हैं। दुबे जी जानते हैं क्योंकि यह उनके पड़ोस का इलाका है। गंगोत, अमात, कहार, थालु, गुरहा, ताती, तत्वा, बड़ेडिया जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ी हैं। मैं मांग करता हूँ कि उन्हें ट्राइबल जाति में रखा जाए या अनुसूचित जाति में रखा जाए। इन लोगों की हालत ठीक नहीं है। इन लोगों का जातीय संघ लड़ रहा है, प्रस्ताव पास करता है और सवाल उठाता रहता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ और जानकारी देना चाहता हूँ कि 1980 के दशक में ट्राइबल विभाग अलग नहीं था, होम मिनिस्ट्री में था। आप उस समय के कागज खोजेंगे तो देखेंगे कि होम मिनिस्ट्री में वह कागज है।

श्रीमती इंदिरा जी यहां थी, लिखापढ़ी हुई तो होम मिनिस्ट्री ने सरकार से पूछा कि नुनिया, मल्हार, लोहार, भिंड, बिलदार, वयोत, गोही, निशाद, साहनी, गंगोत, अमात, कहार, खानपुरहा, ताती, तत्वा, आदि जातियों को रखा जाए कि नहीं, राज्य सरकार अपनी राय व्यक्त करे। एक ज्वाइंट सैक्रेटरी ने लिखा, मैं आपको उसकी फोटोकॉपी दूंगा। उन्होंने राज्य सरकार को लिखा, राज्य सरकार की क्या राय है। संविधान की धारा 366-342 में राज्य सरकार से भी सहमति लेकर फिर समाज अध्ययन संस्थान से, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से सभी जगहों से सहमति होती है, तब सूची में हेराफेरी और जोड़-घटाव करने का काम होता है। इसीलिए ज्वाइंट सैक्रेटरी ने जो राज्य सरकार को लिखा कि इन सभी जातियों को ट्राइबल में आने के लिए...

सभापति महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, कोई नाम यून नहीं करना है। Please remove the name, which he has used. Hon. Member, please do not use any other names. You are a senior Member and you know about it.

...(Interruptions)

अ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह आप कृपा करके देख लीजिए। नाम लेकर एलिंगेशन नहीं लगाना है। नाम लेकर किसी के विरुद्ध एलिंगेशन नहीं लगाना है, यह केवल रेफरेन्स है। आप चाहे तो नियम-कायदा देख लीजिए।

MR. CHAIRMAN: No, you are not expected to mention it. So, this will be removed from the records.

...(Interruptions)

अ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपा करके जानकारी कर ली जाए हम किसी का नाम लेकर उस पर एलिंगेशन नहीं लगायेंगे और आरोपित नहीं करेंगे जो यहां उपस्थित नहीं हैं। लेकिन उस नाम से कागज गया है, इससे माननीय मंत्री जी को सहूलियत होगी। क्या यह कोई एलिंगेशन है। कृपा करके नियम-कायदा समझ लिया जाए और उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। ज्वाइंट सैक्रेटरी से भी हमारा काम चल जायेगा। 1981 से 1984 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधान मंत्री थीं, क्या हम नाम नहीं लेंगे। वह उस समय प्रधान मंत्री थीं। इसलिए एलिंगेशन लगाकर किसी का नाम लेना संसदीय प्रणाली में उचित नहीं है। लेकिन हम एलिंगेशन नहीं लगा रहे हैं यह पेपर में रेफरेन्स है। मैं भेद खोल रहा हूँ, मंत्री जी की सहायता कर रहा हूँ। मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ, जो करोड़ों गांवों के लोग हैं, दबे हुए हैं, शोषित, वंचित, उपेक्षित, लांछित हैं, उन लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। हर कोई यही कहता है कि जाओ, पीछे हटो। उनकी कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है, भागीदारी नहीं है। इसीलिए लड़ाई अब भी जारी है, भीख नहीं भागीदारी, सत्ता में चाहिए हिस्सेदारी। जो गरीब, वंचित गांवों में करोड़ों लोग हैं, जिनका कोई स्वर नहीं है, अब उनका जातीय संगठन महासंघ बना है, अब वे दबने वाले नहीं हैं। इसीलिए माननीय मंत्री जी आप तो कानूनी आदमी हैं, तकनीकी आदमी हैं, आप सब समझते हैं। चूंकि कुछ वर्ष पहले आपकी मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री से अलग हो गई इसलिए पुराने कागज नहीं मिलेंगे, पुराने कागज के लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। आप देखिये कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी 16 जातियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न नामों से काम के आधार पर जातियों का बंटवारा हुआ और दबे हुए लोग पीछे रह गये, छूट गये। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय किया और जो दबे हुए लोग छूट गये हैं, उन्हें भी राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए, तभी देश मजबूत होगा। वरना जिस देश में करोड़ों लोगों को जो ट्राइबल हैं, पिछड़े हैं, यह अनुसूचित जाति के हैं, ये पिछड़ी जाति हैं, वह अब दुनिया के मुल्क के साथ भी बैठेंगे तो सबसे पिछली सीढ़ी पर बैठेंगे। जिस देश में आप करोड़ों लोगों को ऐसे छोटा करके रखेंगे। इस देश को मजबूत करने के लिए भी जो वंचित, शोषित समाज, दबे हुए लोग, ट्राइबल हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन सबको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए ट्राइबल विभाग अच्छा काम कर सकता है। इसलिए एक सम्यक कंप्रिहेंसिव बिल लाना चाहिए। अन्य राज्यों में भी इस तरह की कई जातियां हैं, जिनका नामो-निशान नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि वह एक कंप्रिहेंसिव विधेयक लाये और हम लोगों का समर्थन लें और करोड़ों पिछड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम करें, हिस्सेदारी देने का काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मंत्री जी कर्नाटक की एक जाति मेदारा को शामिल करने के लिए संशोधन लाये हैं, यह एक बहुत छोटा संशोधन है और इसके बारे में हमारी पार्टी के माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद जोशी जी ने जो मेहनत की या उन्होंने जो बोला, उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। लेकिन अभी जितनी चर्चा हुई, शैलेन्द्र जी बोल रहे थे, धनंजय जी बोल रहे थे, रघुवंश बाबू बोल रहे थे या उधर से हेमडे जी बोल रहे थे, इन सारे लोगों का एक ही कंसर्न है, कंसर्न यह है कि जिस तरह से यह देश आगे चल रहा है, आजादी के बाद हमने अपना साठवां साल मनाया है। आज अलग-अलग कानून या अलग-अलग चीजें बढ़ रही हैं, पथिक की तरह यह पूजातंत्र भी चल रहा है।

जिस तरह से हमने डीटीसी बनाया। सन् 1961 का जो बिल था, उसे पूरा का पूरा बदल दिया। सन् 1956 का जो कंपनी लॉ था, उसे पूरा का पूरा बदल दिया। हमारी स्थायी समिति उसे देख रही है। टैक्स का जो है, जनरल सेल्स टैक्स जो है, एक्साइज टैक्स जो है, उसके लिए जीएसटी का एक अलग कानून आ रहा है। हम आर्थिक क्षेत्र में जिस तरह से अपना बढ़ाव देख रहे हैं, जिस तरह से कानून बदलने की आवश्यकता हो रही है, कानून बदल रहे हैं। स्टेपिडंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, इस देश के सारे मैनबर ऑफ पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट है या जो राज्य सरकार की रिपोर्ट है, उसमें अन्य जातियों को जोड़ने के लिए एक अलग आयोग बनाइए। अलग आयोग बनाने के पीछे जो कारण हैं, वह आपको स्पष्ट तौर पर चारों ओर दिखाई देती है कि यह कंसर्न है। यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि समाज दो चीजों से चलता है। समाज में क्या है कि समाज की जो परस्परता है, एकजुटता है, यूनिटि है, वह दो चीजों पर है। एक तो समाज यह देखता है कि हम दोनों में समानता क्या है। यदि समाज में सारे लोग साथ रहेंगे तो एक-दूसरे से सिमिलरटी क्या है। दूसरा चीज देखता है कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। कहीं न कहीं शेड्यूल ट्राइब, शिड्यूल कास्ट और ओबीसी और देश में इस तरह की जो जातिगत व्यवस्थाएं हैं, वह समानता भी है। समानता यह है कि देश के प्रति उनकी कमिटमेंट है। समानता यह है कि देश में कहीं भी किसी तरह की परेशानी होती है

तो वे साथ में खड़े हो जाते हैं और समानता यह है कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर वे अपने आपको कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए समाज में उन्हें अपने पास लाने के लिए, समाज में एकरूपता कायम करने के लिए, उस अंतर को पाटने के लिए उन्हें रिज़र्वेशन की आवश्यकता है, सहुलियत की आवश्यकता है। इसीलिए कोई शिड्यूल ट्राइब हो जाता है, कोई शिड्यूल कास्ट हो जाता है और कोई ओबीसी हो जाता है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि सभी पत्थरों में कोई न कोई मूर्ति है, इसी तरह से सभी जातियों में कोई न कोई अच्छाई है। उसमें केवल उसका आब्सटेकल है, उस पत्थर के सामने जो दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को हटा कर, उस मूर्ति को बना देने की आवश्यकता है जिससे वह पत्थर मूर्ति का रूप ले लेता है, आपने अभी आर्टिकल-342 की बात कही है, मैं संथाल परगना से आता हूँ और मैं आर्टिकल-339 को कोट करना चाहूँगा। मैं लगातार नियम 377 में, ज़ीरो ऑवर में और आपको पत्र के माध्यम से भी लगातार लिखता रहा हूँ। आर्टिकल-339 यह कहता है -

"The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States."

मैं संथाल परगना के जिस क्षेत्र से आता हूँ वह शेड्यूल-5 का एरिया है। उसमें छह जिले हैं - दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा है, क्योंकि झारखण्ड दो इलाकों, छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिला कर बना है। पूरा संथाल परगना शेड्यूल-5 का एरिया है। शेड्यूल-5 में जो जातियां रह रही हैं, सन् 1932 तक शेड्यूल ट्राइब थीं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि सन् 1932 तक वे जातियां शेड्यूल ट्राइब थीं और वे जातियां हैं - धड्यां, घटवाल, धुड्यां घटवाल, खेतौड़ी, गादर और पेरियार हैं। इस तरह की जातियां हैं, वे जातियां वहां रहती हैं, शेड्यूल-5 के एरिया में रहती हैं। मैं जब भी सवाल उठाता हूँ, जब भी पत्र लिखता हूँ, आप कहते हैं कि एथनोग्राफी रिपोर्ट होनी चाहिए। रघुवंश बाबू अभी जिस सामाजिक संस्थान की बात कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको राज्यों का रिकमंडेशन होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रार जनरल का रिकमंडेशन होना चाहिए, स्टैण्डिंग कमेटी का रिकमंडेशन होना चाहिए, आपका रिकमंडेशन होना चाहिए। क्या आपको कभी लगता है कि वे पांच-छह संस्थाएं इस देश में आज की डेट में एक साथ इकट्ठा हो सकती हैं? जिस तरह से रीजनलिज्म की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से कास्ट की पॉलिटिक्स हो रही है, देश के बारे में कौन सोचना चाहता है? मतलब कि न राधा को नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। जिस तरह से आपने चारों तरफ से जो एक वेब क्लिप्ट कर दिया है, यह इस वेब में नहीं होगा। मेरा सीधा एलिगेशन यह है कि आप राज्य सरकार को, क्योंकि जिस आर्टिकल-339 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके हिसाब से आप यह राज्य सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। यदि सन् 1932 तक ये सारी जातियां शेड्यूल ट्राइब में शामिल थीं तो क्या कारण है कि पिछले साठ-पैंसठ साल से वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगातार जाति की बैठकें हो रही हैं और आंदोलन ऐसा हो रहा है कि संथाल परगना कई बार ठप्प हो चुका है और ठप्प होने के बाद सन् 2005 में राज्य सरकार ने आपको रिकमंडेशन भेजा। आपने उसमें एक टैक्नीकल पाइंट लगाया कि इन जातियों को हम शामिल नहीं कर सकते हैं, फिर जो वापस गया सन् 2005 से वह सन् 2012 तक नहीं आया। मुझे लगता है कि जिस तरह की कोएलिशन सरकार वहां चल रही है, शायद वह और भी बीस साल तक नहीं आएगा। यदि बीस साल तक नहीं आएगा तो क्या ये जातियां ऐसे ही रोड़ पर रहेंगी? क्या उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा? क्या उनका आन्दोलन इसी तरह से चलता रहेगा और यदि चलता रहेगा तो जो ये सारे मॅबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे धनंजय जी बोल रहे हों, रघुवंश बाबू बोल रहे हों, शैलेन्द्र जी बोल रहे हों, क्या सरकार इसके बारे में सोचने के लिए कोई न कोई कमीशन बना रही है, आयोग बना रही है? हमें इसका जवाब चाहिए क्योंकि यह जो समाज है, समाज इस तरह से चलता है कि हम राजा हैं, यदि आज मॅबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, आप मंत्री हैं, आप बड़े इमानदार मंत्री हैं। रहिमान का एक दोहा है- रहिमान वे नर मर चुके जे कुछ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि तो शायद यदि आपके मुख से नहीं निकलता है तो वे तो योज मर रहे हैं। वे अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए योज मर रहे हैं। कोई उनकी आवाज यहां पहुंचाने वाला नहीं है, कोई मॅबर ऑफ पार्लियामेंट आज तक उन जातियों से नहीं आया है। भगवान करे कि शायद कोई मॅबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाये, तो शायद अपनी बातें वे आपको स्पष्टता के साथ बता सकते हैं। इसी तरह से मेरे मित्र गणेश सिंह जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कई जातियां हैं, मांडी है, केवट है, मल्लाह है, इस तरह की जो जातियां हैं, अलग-अलग प्रदेश की अलग-अलग जातियां हैं और राज्य ने रिकमंड भी किया है। आप सारी जातियों का एक कमीशन बनाइये, जो जातियां वर्ष 1925 तक, वर्ष 1932 तक शेड्यूल ट्राइब में थीं या जिनकी डिमांड आ रही है, इसके आधार पर आप एक कापीहीसेव कानून लाइये। जिस तरह से जीएसटी आ रहा है, जिस तरह से डीटीसी आ रहा है, जिस तरह से कम्पनी बिल आ रहा है, मेरा आपसे यह आग्रह है कि उसी तरह का आयोग बनाकर आप एक-साथ सारी जातियों को, सारे राज्यों की सारी जातियों को इकट्ठा करके एक अलग शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की लिस्ट बनायें तो देश के लिए फायदा होगा।

SHRI R. DHROVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Sir, the hon. Union Minister has taken lot of interest to introduce this Bill. First of all, I am very thankful to the hon. Union Minister.

The Medara Community is basically engaged in making bamboo basket, cane basket and such other baskets which are also used in agricultural operations.

Approximately, their total population is not more than 50 thousand in the State of Karnataka. They are distributed in a few districts and taluks such as Maddur, Ranibennur, ChamaraJanagar, Davangere, Shikaripura and some pockets of North Karnataka.

Their occupational work, the social status and economical status is similar to Meda community which is already there in the list of STs at serial number 37.

At present, there are totally 50 communities in the list of Scheduled Tribes. At serial number 37, Meda community is there. After this, Medara community has to be inserted. This is to fulfil the longstanding demand of the Medara Community. Already in other states the "Medara" Community is included into the list of Scheduled Tribes.

Sir, I support this Bill and my request to hon. Minister is to include 'Soliga' which is also most backward tribal community in

Karnataka. It is primitive tribe community. You already know the Soliga tribal community. So, I once again request the hon. Minister to include Soliga in the primitive tribe list.

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Thank you for allowing me to speak on this important Bill which seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950. I welcome and appreciate the hon. Minister for bringing this Bill. The Scheduled Tribes constitutes around 9 per cent of the country by the latest Census, 2011. They are still in the deplorable condition. In fact, they live in sub-human and pathetic condition.

As we have seen in my State West Bengal, how they were treated in the last 34 years. For example in Jangal Mahal, there was no improvement regarding roads, education, health infrastructure. They were not getting any job. But with the help of present Government and hon. Chief Minister Mamata Banerjee, the situation has changed and the situation of the Jangal Mahal has become quite and calm.

Sir, I am hopeful that the tribals of Medara of Karanataka would definitely derive benefit out of such a law. I would also request hon. Minister to include all the tribals who were not listed under this constitution should be included. We attained Independence. We made rapid strides in every conceivable field. But a lot requires to be done for the improvement of the tribal people. I support this Bill.

श्री नामा नानेश्वर राव (खम्मम): सभापति जी, इस लॉग पैनिडिंग इश्यू को मंत्री जी ने इस मंत्रालय में आने के बाद टेकअप किया है, इससे पता चलता है कि मंत्री जी आदिवासियों के बारे में बहुत सोचते हैं। इतने पैनिडिंग इश्यू होने के बाद भी इतने शॉर्ट पीरियड में इस इश्यू को टेकअप किया है, इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इनको मंत्री रहते हुए अगले दो सालों आदिवासियों के लिए, मुख्यतः आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, हमसे ज्यादा जानकारी मंत्री जी को है। आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत आने आने की ज़रूरत है। अभी रीसेंटली आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में कांस्टीट्यूशन में 5th श्रेड्यूल के अनुसार they are having some rights. Apart from that 1/70 एक्ट के अनुसार भी उन लोगों को काफी राइट्स दिये हैं। इन सब राइट्स को देने के बाद भी बैंकडोर से आंध्र प्रदेश में बॉक्सआइट माइनिंग प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं जहाँ एस.टी.ज़ का राइट है। उसमें 1/70 एक्ट है, उसमें 5th श्रेड्यूल के अनुसार उसको किसी को भी नहीं देना चाहिए। उसमें उन लोगों का राइट है। वहाँ बॉक्सआइट माइनिंग पूरा प्राइवेट लोगों को दिया है। उसी तरीके से हमारी कांस्टीट्यूंसी में बयाराम आइरन ओर माइन ने भी दिया है। मैं मंत्री जो को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि बॉक्सआइट और आइरन ओर जितना भी ट्राइबल एरियाज़ में हैं, उन लोगों के अधिकार के अनुसार फर्स्ट राइट उन लोगों को ही मिलना चाहिए। सरकार को इस मामले को टेकअप करना चाहिए कि इसको बैंकडोर से गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को दे रही है। हमारे खम्मम जिले में 1,46,000 एकड़ की माइन्स एक प्राइवेट आदमी को दी हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह से ट्राइबल एरियाज़ में नैचुरल मिनिरल्स की लूट करने के लिए जो हो रहा है, उस पर आपके भी काफी स्टेटमेंट्स हैं, You are also opposing. But, you are in the Government. At the same time, you are the Minister. आप इसको अपोज़ करने के बजाय कैन्सैल करवा दीजिए, This is my request. इसके अलावा जो-जो भी एस.टी.ज़ अपनी ज़मीन में खेती या किसानी करते हैं, उसके लिए पौड़ भूमि आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, उसके लिए किसानों को पहा देना चाहिए। किसानों को पहा देने के लिए हम मंत्री जी को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितना भी आंध्र प्रदेश में श्रेड्यूल्ड ट्राइबज़ को पहे नहीं मिले हैं, पहे देने के लिए रिक्वेस्ट करें। मैं आखिर में मंत्री जी को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी कांस्टीट्यूंसी में बहुत से एस.टी.ज़ हैं। वहाँ माइनिंग यूनिवर्सिटी के लिए पहले भी डिमांड थी। हम आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार खम्मम जिले के सप्तगुढ़म और भद्राचलम में माइनिंग यूनिवर्सिटी दीजिए।

अंत में मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नई कार्ट्स को इनवलय करने की वजह से और उन लोगों की पॉपुलेशन इनक्रीज़ होने की वजह से उन लोगों की परसेंटेज कम हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रिज़र्वेशन में इनका टोटल परसेंटेज भी कम नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ कि मंत्री जी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। यही कहते हुए मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अनुसूचित जनजाति की सूची में एक छोटे से संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक की एक जाति है 'मेदाश' और उसके नाम को लेकर यह बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसी अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 16 जातियाँ हैं जिनको हमारी पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जनजाति में लाने का प्रस्ताव लाया था। उन 16 जातियों में मल्लाह, बिन्द, निषाद, चौहान, लुनिया, इस प्रकार से 16 जातियाँ थीं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक गोंड जाति है। सोनभद्र में उसको अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति का उत्तर प्रदेश विधान सभा में कोई आरक्षण नहीं है। विजय सिंह गौड़ नौ बार एमएलए रहे हैं और इस बार उनका पर्व निरस्त हो गया। अनुसूचित जनजाति की बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में थी और खास तौर से सोनभद्र में। यही हालत अनुसूचित जनजाति में सोनभद्र गौड़, गोण्ड और वहीं मिर्जापुर, बनारस, चंदौली और दूसरे जनपदों में पिछड़ी अनुसूचित जाति में सम्मिलित होती है। अभी उत्तर प्रदेश में एक साल पहले जब ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ था तो बहुत सी जातियाँ उससे वंचित हो गईं। अनुसूचित जाति से भी उनको निकाल बाहर किया और उनका जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार समाप्त हो गया। इसी प्रकार से बियार जाति है। यह अनुसूचित जाति में नहीं है। इसकी बड़ी संख्या मिर्जापुर, सौनभद्र, इलाहाबाद, बनारस और चंदौली में है। इस जाति की बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इसे न तो अनुसूचित जाति में रखा गया और न अनुसूचित जनजाति में और न वह पिछड़ी जाति में है। इस जाति को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित

जाति का सामाजिक लाभ मिलना चाहिए। लेकिन नहीं मिल पा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में बियार जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वे करवाकर तय कर लीजिए कि इनमें से किसमें रखना है। इसी प्रकार से गौड़ जाति है। खरवार जाति के लोग अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाकर जनप्रतिनिधि हो गए। इनको बैकवर्ड का भी सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि अब मुकभेबाजी हो रही है। एक दिवकत यह हो रही है वे प्रधान बन गए, जिला पंचायत सदस्य भी बन गए, लेकिन अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट हटाकर उनको पिछड़ी जाति में भी घोषित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो 16-17 जातियां हैं, जिनमें बिंद, मल्लाह, निषाद, केवर, चौहान, प्रजापति, कुम्हार, बियार और तोहार हैं। इनको अनुसूचित जाति में रखिए। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था। हमारी सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में रखने के लिए तैयार है। इनका सर्वे करवाकर भारत सरकार अनुमति दे और उत्तर प्रदेश की जातियां जो छूट गई हैं, जिनका कहीं कोई स्थान नहीं है, बेबस-लाचार हैं। जिनको सामाजिक कल्याण विभाग से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वे गरीब हैं। उनकी हालत अनुसूचित जनजाति से भी खराब है। उनकी शिक्षा की हालत बदतर है। उनके पास मकान नहीं है। आजीविका का कोई साधन नहीं है। वे कहीं मछली मारते हैं, कहीं मिट्टी का काम करते हैं। ये ऐसी जातियां हैं जिनकी हालत अनुसूचित जाति दलित से भी खराब है। उन पर विचार किया जाए और उनको इन सब में सम्मिलित करते हुए उनका हक और अधिकार दिलाने का काम केन्द्र सरकार करे।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में करीब 47 शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगिरीज़ हैं। सोनकोली और महादेवकोली जाति फिशरमैन हैं। महाराष्ट्र में घाट सैवशन पर यह दोनों जातियां रहती हैं। कोस्टल एरिया में रहने वाली जाति को सोनकोली कहते हैं। लेकिन उनको ट्राइबल का सर्टिफिकेट प्राप्त करने में बहुत दिवकत आ रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि सोनकोली ही महादेव कोली है, ये ही फिशरमैन हैं और घाटमाथा से नीचे उतरे हैं। सोनकोली को अभी तक ट्राइबल में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ठाणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मेरी यही मांग है कि सोनकोली को ट्राइबल कम्युनिटी में शामिल किया जाए ताकि उनकी आने वाली जनरेशन को फायदा हो सके।

SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Constitution (Amendment) Bill, 2011 in respect of inclusion of a particular community in Karnataka, and also congratulate the hon. Minister for trying to redress the outstanding demand of the people in respect of inclusion in Scheduled Tribes.

-

-

At the same time, my submission to the hon. Minister is that in respect of other States also, he must consider inclusion of various communities who have been left out. For instance, from Jammu and Kashmir, the State Government has recommended two cases – one pertaining to the Pahari speaking people of Jammu and second, the Urgon community of Ladakh. In this connection, delegations have also met the hon. Minister very recently, as also the Prime Minister and the UPA Chairperson. My submission is that in future, he must also try to include those communities who have been left out in the previous orders. If necessary, he also can get surveys conducted through the Registrar-General of Census in case of technical aspects of those communities. But we are hopeful that in future, he will consider those cases also and try to bring amendments in the House as soon as possible.
